

कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।

क्रमांक: F37(3)/ नि.आ./ बीपीसी(बीपी)/ का.वि./ 2018 5774

दिनांक:- 21/12/18

---कार्यवाही विवरण---

भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 5/2018 वीं बैठक दिनांक 18.12.2018 को माननीय आयुक्त महोदय, जोधपुरा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, इसमें प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श किया जाकर निम्नवत निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट-“1” पर है।

एजेण्डा संख्या	जोन	विषय	निर्णय
1.	दक्षिण	राजस्व ग्राम कुडी भगतासनी के खसरा नम्बर 342/5 के एकल भूखण्ड क्षेत्रफल 209.14 वर्गगज (174.86 वर्ग मीटर) पर औद्योगिक प्रयोजनार्थ भवन निर्माण स्वीकृती बाबत। आवेदक:- जेठाराम डूडी मोटर्स प्रा. लि जरिये श्री अतुल डूडी भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 5/2018 वीं बैठक दिनांक 18.12.2018	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति को अवगत करवाया गया कि :- 1. प्रस्तावित अतिरिक्त बी.ए.आर हेतु बेटरमेन्ट लेवी ली जानी अपेक्षित है। 2. प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक द्वारा जोधपुरा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र देगा कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 3. वास्तुविद् द्वारा अण्डरटेकिंग प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। 4. प्रस्तावित भवन की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत श्रम उपकर प्रार्थी द्वारा श्रम विभाग में जमा करवायी जानी अपेक्षित है। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् भवन विनियम अनुसार संशोधित मानचित्र प्राप्त करते हुए नियमानुसार राशि जमा करवाते हुए अनुमोदन का निर्णय लिया गया।
2.	दक्षिण	राजस्व ग्राम कुडी भगतासनी के खसरा नम्बर 342/4 के एकल भूखण्ड क्षेत्रफल 609.46 वर्गगज (509.58 वर्ग मीटर) पर औद्योगिक प्रयोजनार्थ भवन निर्माण स्वीकृती बाबत। आवेदक:- जेठाराम डूडी मोटर्स प्रा. लि जरिये श्री अतुल डूडी भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 5/2018 वीं बैठक दिनांक 18.12.2018	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति को अवगत करवाया गया कि :- 1. प्रस्तावित अतिरिक्त बी.ए.आर हेतु बेटरमेन्ट लेवी ली जानी अपेक्षित है। 2. प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक द्वारा जोधपुरा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र देगा कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 3. वास्तुविद् द्वारा अण्डरटेकिंग प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। 4. प्रस्तावित भवन की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत श्रम उपकर प्रार्थी द्वारा श्रम विभाग में जमा करवायी जानी अपेक्षित है। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् भवन विनियम अनुसार संशोधित मानचित्र प्राप्त करते हुए नियमानुसार राशि जमा करवाते हुए अनुमोदन का निर्णय लिया गया।
3.	दक्षिण	मूल भूखण्ड-खसरा नं. 775/63, 775/69, 1282/775, 1286/775, 1284/775, 1285/775, 1287/775 के अनुमोदित योजना के भू-खण्ड सं. 1 ग्राम जोधपुर (शोभावतो की ढाणी) क्षेत्रफल 21276.34 वर्गमीटर पर प्रस्तावित भवन की एवज में राजस्व ग्राम सांगरिया के खसरा नं. 157/3, 157/4 क्षेत्रफल 2995.17 वर्गगज (2503.19 वर्गमीटर) पर EWS/LIG आवासीय ईकाईयों के प्रस्तावित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत। आवेदक:- प्रदीप एण्ड कम्पनी, ज्ञान स्टोरेज, अशोक कुमार एण्ड कम्पनी रणजीत ब्रदर्स, विमल किशोर राठी, निवासी 41 ए/4 पी डब्ल्यू डी कॉलोनी, जोधपुर। भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 4/2018 वीं बैठक दिनांक 18.12.2018	उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रकरण पूर्व में बीपीसी (बीपी) की 04/2018 वीं बैठक दिनांक 07.09.2018 में रखा जाकर निम्नानुसार निर्णय लिया गया:- “1. प्रकरण में कार्यालय द्वारा पूर्व में EWS/LIG नहीं बनाये जाने के एवज में जारी शास्ती पर पत्र की राशि नियमानुसार जमा करायी जावे। 2. राज्य सरकार से प्राप्त पत्र का प्रतिउत्तर सम्पूर्ण तथ्यों के साथ भेजा जावे। 3. प्रकरण में शास्ती जमा नहीं किये जाने तक गाँव के पर निर्माणाधीन भवन को निर्माण बन्द किये जाने की कार्यवाही हेतु उपायुक्त को निर्देशित किया गया।” उपरोक्त समिति के निर्णय के क्रम में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र मध्य दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। जो पत्रावली के पृष्ठ संख्या 172 व 186 पर उपलब्ध है, जिसके संबंध निदेशक आयोजना द्वारा विधिक राय ली गई जो निम्नानुसार है। “नगरीय विकास विभाग ने अपने पत्र दिनांक 06.12.2017 में राज्य सरकार के आदेश दिनांक 06.06.2015 के क्रम में बिन्दु संख्या 1(अ) की स्थिति स्पष्ट करते हुये यह स्पष्ट किया है कि जब प्राधिकरण द्वारा मुख्य परियोजना से अन्यत्र स्थान पर स्वीकृती जारी नहीं की गयी तो आदेश दिनांक 06.06.2015 के बिन्दु संख्या 1(अ) इस प्रकरण में लागु नहीं होता है। साथ ही UDH के पत्र दिनांक 06.12.2017 में यह भी स्पष्ट किया है प्रकरण में प्रचलित आदेश दिनांक 06.06.2015 के बिन्दु संख्या 3 व 4 के अनुसार कार्यवाही करावे। उक्त बिन्दु संख्या 4 में उप-बिन्दु (iii) में प्रोजेक्ट में प्रस्तावित FAR 50.000 वर्गमीटर से अधिक होने पर अधिकतम 7 वर्ष अवधि का उल्लेख है। तथा उप बिन्दु संख्या (ii) में प्रोजेक्ट में प्रस्तावित FAR 15.000 वर्गमीटर से अधिक 50.000 वर्गमीटर तक होने पर अधिकतम 5 वर्ष अवधि निर्धारित है। प्रश्नगत प्रकरण में प्रयोजनार्थ भवन निर्माण अनुज्ञा दिनांक 24.02.2014 के बिन्दु संख्या (2) में भवन निर्माण अनुज्ञा जारी होने की तिथि से आगामी सात वर्ष तक प्रभावी होने का उल्लेख है। इस अनुज्ञा में EWS/LIG के संबंध में अलग से किसी अवधि का उल्लेख नहीं है। उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि अनुमोदित प्रयोजनार्थ हेतु जारी अनुज्ञा के अनुसार निर्धारित अवधि में EWS/LIG के आवासों का निर्माण

57

			<p>हो अथवा प्रार्थी के आवेदन (जो लम्बित है) का अन्यत्र स्थान पर निर्माण की स्वीकृती जारी की जावे तथा उसमें निर्माण स्वीकृती के अनुसार निर्धारित अवधि में पूर्ण किया जावे। ऐसी स्थिति में शास्ती अधिरोपित नहीं की जा सकती। अतः शास्ती के संबंध में पुनः विचार किया जाना उचित होगा।" प्रकरण में पूर्व में भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 04/2018 वीं बैठक दिनांक 07.09.2018 रखे गये एजेण्डे की प्रति पत्रावली के पृष्ठ संख्या 170 पर अवलोकनीय है। साथ ही प्रकरण में आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के अन्य बिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य में समिति द्वारा निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है।</p> <p>समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् आरोपित शास्ती विलोपित किये जाने तथा भवन विनियम अनुसार संशोधित मानचित्र प्राप्त करते हुए नियमानुसार राशि जमा करवाते हुए अनुमोदन का निर्णय लिया गया।</p>
4.	पूर्व	<p>राजस्व ग्राम उचियारडा के खसरा नम्बर 9, 11 के भूखण्ड संख्या 35, 36 नये भूखण्ड संख्या 48, 49 व 50 का कुल क्षेत्रफल 1505.57 वर्ग मीटर पर आवासीय (फ्लैट्स) प्रयोजनार्थ भवन निर्माण स्वीकृती बाबत्।</p> <p>आवेदक:- श्री अर्जुन सिंह पुत्र श्री मोहनसिंह व श्रीमती पारस कंवर पत्नी श्री अर्जुन सिंह</p> <p>भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 5/2018 वीं बैठक दिनांक 18.12.2018</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रकरण में जोविप्रा के कनिष्ठ अभियन्ता की मौका रिपोर्ट दिनांक 13.09.2018 अनुसार मौके पर भवन निर्मित है तथा तीनों भूखण्डों की पृथक-पृथक बाउन्ड्री वॉल निर्मित है। अतः आवेदित भूमि पर मौके पर स्थित निर्माण के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना अपेक्षित है। 2. प्रकरण में आवेदित भूमि का संयुक्तीकरण/उप विभाजन जोविप्रा के आदेश क्रमांक 4740, दिनांक 12.09.2018 द्वारा किया गया है। 3. प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक द्वारा जोविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र देगा कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 4. प्रस्तुत भवन मानचित्र में की गयी क्षेत्रफल गणना व दर्शाये गये माप पूर्णतया सही है तथा किसी प्रकार के तथ्य छुपाये नहीं गये हैं, बाबत् वास्तुविद् से अण्डरटेकिंग लिया जाना अपेक्षित है। 5. प्रस्तावित भवन की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत श्रम उपकर प्रार्थी द्वारा श्रम विभाग में जमा करवायी जानी अपेक्षित है। 6. प्रस्तावित भवन में अतिरिक्त बी.ए.आर की राशि लिया जाना अपेक्षित है। <p>समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् उपरोक्त तथ्यों की पूर्ति कर संशोधित मानचित्र प्राप्त करते हुए नियमानुसार राशि जमा करवाते हुए अनुमोदन का निर्णय लिया गया।</p>
5.	दक्षिण	<p>राजस्व ग्राम सालावास के खसरा नम्बर 97/4 के एकल भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल 6899.92 वर्ग मीटर पर कृषि आधारित उद्योग प्रयोजनार्थ भवन निर्माण स्वीकृती बाबत्।</p> <p>आवेदक:- श्री सुभाष अग्रवाल पुत्र श्री अनन्तराम जी</p> <p>भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 5/2018 वीं बैठक दिनांक 18.12.2018</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक द्वारा जोविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र देगा कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 2. वास्तुविद् द्वारा अण्डरटेकिंग प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। 3. प्रस्तावित भवन की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत श्रम उपकर प्रार्थी द्वारा श्रम विभाग में जमा करवायी जानी अपेक्षित है। <p>समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् भवन विनियम अनुसार संशोधित मानचित्र प्राप्त करते हुए नियमानुसार राशि जमा करवाते हुए अनुमोदन का निर्णय लिया गया।</p>
6.		<p>राजस्व ग्राम गंगाणा कोहिनूर सिटी सेक्टर ए के खसरा नम्बर 107 के एकल भूखण्ड कुल क्षेत्रफल 473.95 वर्ग मीटर पर सामुदायिक सुविधा प्रयोजनार्थ भवन निर्माण स्वीकृती बाबत्।</p> <p>आवेदक:- श्री मोहम्मद दाउद खान पुत्र श्री नूर मोहम्मद,</p> <p>भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 5/2018 वीं बैठक दिनांक 18.12.2018</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक द्वारा जोविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र देगा कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 2. वास्तुविद् द्वारा अण्डरटेकिंग प्रस्तुत कर दिया गया है। 3. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत भवन मानचित्र में आंशिक संशोधन की पूर्ति करवाते हुये संशोधित मानचित्र लिये जाना अपेक्षित है। 4. प्रस्तावित भवन की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत श्रम उपकर प्रार्थी द्वारा श्रम विभाग में जमा करवायी जानी अपेक्षित है। <p>समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् प्रकरण अन्य सामुदायिक सुविधा में किस प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र अनुमोदन चाहा गया है उक्त हेतु प्रार्थी को पत्र लिखा जावे। अतः प्रकरण को स्थगित रखे जाने का निर्णय लिया गया।</p>
7.		<p>राजस्व ग्राम मण्डोर के खसरा नम्बर 378 का कुल क्षेत्रफल 2090 वर्ग मीटर पर होटल प्रयोजनार्थ भवन निर्माण स्वीकृती बाबत्।</p> <p>आवेदक:- श्री गेनसिंह पुत्र श्री गोरधनसिंह</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. स्वामित्व रिपोर्ट व लेखा रिपोर्ट ली जानी अपेक्षित है। 2. प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक द्वारा जोविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र देगा कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 3. वास्तुविद् द्वारा अण्डरटेकिंग प्रस्तुत कर दिया गया है। 4. उपरोक्तानुसार विकलांगों हेतु अपेक्षित प्रावधानों की पूर्ति करवाया जाना

	भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 5/2018 वीं बैठक दिनांक 18.12.2018	प्रस्तावित है। 5. प्रस्तावित भवन की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत श्रम उपकर प्रार्थी द्वारा श्रम विभाग में जमा करवायी जानी अपेक्षित है। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् जारी पट्टा विलेख तथा भू-उपयोग परिवर्तन कि शर्तों के परिपेक्ष में जोन स्तर पर जांच उपरान्त ही आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया है।
8.	राजस्व ग्राम सालावास के खसरा नम्बर 77/12 व 77/13 का कुल क्षेत्रफल 12023.91 वर्ग मीटर पर वेयर हाउस प्रयोजनार्थ भवन निर्माण स्वीकृती बाबत्। आवेदक:- श्री आर.जी.पी.जी रियल एस्टेट प्रा.लि जरिये श्री ब्रिजेन्द्र गंगल श्री रमेशचन्द्र गंगल भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 5/2018 वीं बैठक दिनांक 18.12.2018	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति को अवगत करवाया गया कि :- 1. आवेदक द्वारा प्रस्तुत मानचित्र तथा जारी साईट प्लान के भुजाओं में भिन्नता है अतः जोन से शुद्धिकरण उपरान्त ही नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही अपेक्षित है। 2. भवन विनियम अनुसार संशोधन अपेक्षित है। 3. पार्किंग दर्शायी जानी अपेक्षित है। 4. प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक द्वारा जोविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र देगा कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 5. वास्तुविद् द्वारा अण्डरटेकिंग प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। 6. प्रस्तावित भवन की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत श्रम उपकर प्रार्थी द्वारा श्रम विभाग में जमा करवायी जानी अपेक्षित है। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् भवन मानचित्र में साईट प्लान अनुसार संशाधित मानचित्र प्राप्त करते हुए नियमानुसार राशि जमा करवाते हुए अनुमोदन का निर्णय लिया गया।
9.	राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा नम्बर 209/2, 215/1, 215/2, 216/1 व 237/1 का कुल क्षेत्रफल 42286.59 वर्ग मीटर पर आवासीय प्रयोजनार्थ (मुख्यमंत्री जन आवास योजना के प्रावधान-3ए के अन्तर्गत) भवन निर्माण स्वीकृती बाबत्। आवेदक:- मैसर्स अमर आदेश्वर ईन्फ्रास्ट्रक्चर भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 5/2018 वीं बैठक दिनांक 18.12.2018	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति को अवगत करवाया गया कि :- 1. प्रकरण में आवेदित भूमि के भवन मानचित्र एम्पेनलड आर्किटेक्ट श्री सुनिल महुर द्वारा 16.07.2018 द्वारा अनुमोदित है। 2. प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक द्वारा जोविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र देगा कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 3. प्रस्तावित भवन की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत श्रम उपकर प्रार्थी द्वारा श्रम विभाग में जमा करवायी जानी अपेक्षित है। 4. प्रकरण में नियमानुसार संशोधित मानचित्र लिया जाना अपेक्षित है। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् प्रकरण को निम्नांकित शर्तों के अध्याधीन भवन अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया " प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत भवन मानचित्र जो कि एम्पेनलड आर्किटेक्ट द्वारा अनुमोदित है को अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया तथा भवन निर्माण स्वीकृति हेतु आवश्यक फायर अनापत्ति, पर्यावरण अनापत्ति व एयरपोर्ट से 2 कि.मी की दूरी बाबत् रिपोर्ट ली जाकर आवश्यक होने पर एयरपोर्ट की अनापत्ति प्राप्त की जावे।"

अध्यक्ष महोदय द्वारा धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई। उक्त कार्यवाही विवरण सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(दुर्गेश कुमार बिस्सा)
आयुक्त
जोधपुर विकास प्राधिकरण

(अरुण पुरोहित)
सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण

(सुखराम चौधरी)
निदेशक अभियांत्रिकी
जोधपुर विकास प्राधिकरण

(विरेन्द्र सिंह चौधरी)
उपायुक्त (पूर्व)
जोधपुर विकास प्राधिकरण

(श्रवण सिंह राजावत)
उपायुक्त (पश्चिम)
जोधपुर विकास प्राधिकरण

(अनिल पूनिया)
उपायुक्त (उत्तर)
जोधपुर विकास प्राधिकरण

(ओमप्रकाश विश्वा)
उपायुक्त (दक्षिण)
जोधपुर विकास प्राधिकरण


(पी.आर. बेनीवाल)
निदेशक आयोजना एवं सदस्य
सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण

क्रमांक: F37(3)/नि.आ./बीपीसी(बीपी)/का.वि./2018/5775-82

दिनांक:- 21/12/18

प्रतिलिपी :- निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
2. वरिष्ठ निजी सहायक, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
3. निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
4. उपायुक्त (पूर्व), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
5. उपायुक्त (पश्चिम), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
6. उपायुक्त (उत्तर), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
7. उपायुक्त (दक्षिण), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
8. एसीपी को भेजकर लेख है कि इसे जो.वि.प्रा. की वेबसाइट पर अपलोड करें।




निदेशक (आयोजना),
एवं सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति (बीपी)

परिशिष्ट-“1”

भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 05/2018 वीं बैठक दिनांक 18.12.2018 को जोधपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयुक्त महोदय के कक्ष में आयोजित हुई, बैठक में उपस्थिति निम्नवत थी:-

- | | |
|--|------------|
| 1. श्री दुर्गेश कुमार बिस्सा, आयुक्त, जो.वि.प्रा., जोधपुर। | अध्यक्ष |
| 2. श्री अरुण पुरोहित, सचिव, जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 3. श्री सुखराम चौधरी, निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 4. श्री विरेन्द्र चौधरी उपायुक्त (पूर्व) जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 5. श्रीमति श्रवणसिंह राजावत, उपायुक्त (पश्चिम) जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 6. श्री अनिल कुमार पूनिया, उपायुक्त (उत्तर) जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 7. श्री ओमप्रकाश विश्णोई, उपायुक्त (दक्षिण) जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 8. श्री पी.आर. बेनीवाल निदेशक (आयोजना), जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य सचिव |



निदेशक (आयोजना),
एवं सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति (बीपी)